प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 07.03.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 01 अभियुक्त को सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा व दिया गया 1,00,000/- रूपये का अर्थदण्ड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के नेतृत्व में थाना कोतवाली, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं 1,00,000/- रूपये का अर्थदण्ड दिया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.06.2022 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादिनी ने अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ गलत कार्य करने के संबंध में थाना कोतवाली पर तहरीर दी। जिसके संबंध मे **मु0अ0सं0 200/2022 धारा 376 भादवि व ¾(2) पोक्सो एक्ट व 3(2) V SC/ST ACT** पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्त को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना कोतवाली पुलिस टीम, पैरोकार का0 रोहित एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री आशीष तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 07.03.2025 को मा0 न्यायालय ADJ/TRC पॉक्सो एक्ट इटावा द्वारा उक्त अभियोगों से संबंधित अभियुक्त अन्तर्गत धारा 376 AB भादवि व धारा 5M/6 पोक्सो एक्ट मे **आजीवन कारावास एवं 1,00,000/- रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **दिलीप कुमार पुत्र भदई लोधी निवासी लोधी मुहल्ला कटरा फतेह महमूद खाँ थाना कोतवाली जनपद इटावा।**